

एच०पी० सिंह,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

✓ निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभियान,
३०प्र० लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मत्तन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक ३० जुलाई, २०१५

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-उन्नाव की निकाय-लोधनहार की 01 परियोजना हेतु भूल्य वृद्धि के रूप में वित्तीय सहीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4928/76/एक/आई0एच0एस0टी0पी0/गृ0वृदि/2014-15, दिनांक 27 फरवरी, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आई0एच0एस0टी0पी0 योजनाबद्धांत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उन्नुदान संख्या-83 से जनपद-उन्नाल की नगर निकाय-लेघमहार की 96 आवासों के सापेक्ष अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों के 37 आवासों की 01 पुनरीक्षित परियोजना हेतु ₹0 131.99 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, प्रश्नगत पुनरीक्षित परियोजना में ₹0 50.00 लाख नियमानुकूल तालिका के स्तरम् 11 में अंकित देय अंतर की धनराशि ₹0 43.73 लाख (रुपये तीव्रांकित राशि तिहत्तर हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या 407/2015/प्र/1 149 1 901 14(76)/2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा नगर निगम, लखनऊ के ८००एवं०१० में संभाला गया था। इस प्राप्तिरित कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में देय किये जाने को, श्री राज्यपाल गहोदय नियमानुसूचित गति व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(સાધુવી જીજા કહે છે)

~~all the parts~~ are good.

२

4

31815

- उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं ग्रीष्मी उपराजन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यवहार वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित भद्र में व्यय की जायेगी।
- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय के प्रस्तर-318 में लिंगित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी रवीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा सक्षम स्तर से तकनीकी रवीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- उक्त धनराशि का उपयोग उसी परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यापर्यान अनुग्रन्थ न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में परियोजनाएं पूरी गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुग्रन्थ न होगा।
- उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवारों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उन्नानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेगे।
- उक्त परियोजना हेतु अंतिम किश्त की धनराशि को सम्बन्धित सूडा/इडा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को अवमुक्त किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को समिग्नित करने के उपरान्त समस्त किश्तों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सामेश्वर देय/अनुग्रन्थ धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अनुग्रन्थ धनराशि से अधिक धनराशि के रवीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०५०, लखनऊ एवं सम्बन्धित इडा द्वारा प्रभुषा सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं ग्रीष्मी अनुपालन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
- प्रत्येक आहरण की सूचना मललेखाकार (राजकोष), मललेखाकार (लेखा), ३०५०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करायी जाये।
- रवीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि को बैंक/इकाई/डिपाजिट खाते व पी०ए००० में नहीं रखी जायेगी। रवीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें आवश्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग 2 के शासनादेश संलग्न-वी-२-२९८/दस २०१२-२४४/२०११, दिनांक २०.०३.२०१२ के प्रस्तर-३/४ का सम्बन्धित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- परियोजना में समिग्नित के दांश व राज्यांश एवं लगातारी अंश की अनुमति तक व्यय प्रभाग.....3

सुनिश्चित करने का दायित्व सूड़ा/दूड़ा का होगा। इसके अतिरिक्त परियोजनान्तर्गत पूर्व में अवमुक्त किश्तों की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में सूड़ा/दूड़ा स्वयं सब्स्ट्रॉट हो लेगी। यदि प्रशासकीय एवं नित्यीय रवीकृति से अधिक धनराशि अवमुक्त की जाती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायित्व सूड़ा/दूड़ा का होगा।

10. परियोजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने में 30प्र० के बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन सूड़ा/दूड़ा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुख शासन को वापस करनी होगी।
12. निदेशका/भाईत, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ माहरण की वर्षीय पा. नामो 100/1 निलान गहालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेंगे।
13. उक्त रवीकृत धनराशि भागीत परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं प्रश्नगत परियोजना की दीर्घावधानात् न हो, यह सूड़ा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से ₹ग0.ग00ग00 (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित करेंगे। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0ग०) किये जाने हेतु सूड़ा द्वारा सम्बन्धित दूड़ा को निर्देशित किया जायेगा।
15. योजना में अधिकान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुबाग-2 के शासनादेश संख्या-ए 2-23/दस-2011-74(4)/75/11, दिनांक 25.01.2011 में विहित व्यवस्था के अनुसार सुसंगत लेखा शीर्षक में जगा की जायेगी।
16. लेवर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को वास्तवित रूप से किया जायेगा।
17. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली मूल्यवृद्धि की धनराशि अन्तिम होगी। भविष्य में उक्त परियोजना हेतु गूल्यवृद्धि के रूप में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतः परियोजना का अवशेष कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
18. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त फरने से पूर्व एस0एल0एन0ए0 (सूड़ा), यह सुनिश्चित कर लेंगे कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवारीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-1813/69-1-07-14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10-14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है एवं आगणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि, यदि कोई हो तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
19. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0ग०) किये जाने हेतु सूड़ा द्वारा रागवन्धित दूड़ा को निर्देशित किया जायेगा।
20. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिनांक 30.09.2015 से पूर्व आहरित कर ली जाय।
21. भारत सरकार को वापस की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि को यथाशीघ्र भारत सरकार को वापस किया जाना सूड़ा सुनिश्चित किया जायेगा।
22. सूड़ा द्वारा शासनादेश सं0-मु0स0-29/69-1 14-14(62)/2013, दिनांक 05.11.2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के तहत जारी किये जा रहे हैं।

अवधीय,
१०५
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- ७०८ /2015/700(1)/69-1-15-90(बजट)/०८, तिदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकड़ारी), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०,२० सरोजनी नायदू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, ३०प्र०, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, ३०प्र०, छठना तल, रांगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, ३०नाव।
5. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-१, ३०प्र० शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
7. नियोजन अनुभाग-४, ३०प्र० शासन।
8. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, रामाज कल्याण विभाग, ३०प्र० शासन।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
10. कोषाधिकारी, कलेक्टर लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०प्र०, लखनऊ।
12. सहायक वेब मास्टर, सृष्टि को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
13. गाई फाइल/फारम्यूटर सहायक/हाउट समनग्रक।

आज्ञा से,
(एच०पी० सिंह)
विशेष सचिव।